24- दो भाइयों का संयुक्त इच्छा–पत्र विल

मैं.....प्रथम पक्ष और मैं.....द्वितीय पक्ष पुत्र.....कस्बा..... परगना.....जिला के निवासी.....नियमानुसार घोषणा करते हैं :–

1. हम दोनों पक्षकार सगे भाई हैं और हिन्दू विधि के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। हम लोगों का कारोबार, जमींदारी–सम्पत्ति, खेत या मकान, बन्ध–पत्र, बन्धक–विलेख, रुक्के, वचन–पत्र, किसानों की लेखा–पुस्तकों सहित साहूकारी व्यापार तथा वाचिक ऋण, नगदी, सोने और चॉदी के आभूषण, वाहन, घरेलू सामान, रियासत का, साज–सामान और प्रत्येक प्रकार की अन्य वस्तुयें, जिन सबका मूल्य लाखों रुपया है, अविभक्त है। संयुक्त परिवार हम दो सदस्यों में से किसी के भी कोई पुरुष संतान नहीं है किन्तु हम दोनों की एक–एक पत्नी और एक–एक कन्या है। हम निम्न अनुसूची में अंकित अचल सम्पत्ति के स्वामी है जो हमें विरासत में/पंजीकृत विलेख संख्या–... दिनांक .... क्रय द्वारा (जो लागू न हो, उसे काट दें) प्राप्त हुई है।

2. यह कि प्रायः यह देखा गया है कि सम्पत्तिवान और धनवान व्यक्तियों में और उनके उत्तरजीवियों में परस्पर विवाद और झगड़े हुए हैं। हम दोनों पक्षकार भविष्य में झगड़ों को बचाने के लिए, स्वस्थ शरीर और स्थिर चित्त से, अपनी निजी स्वतंत्र इच्छा से, न कि किसी के कहने पर या भड़काने पर, यह घोषणा, जो हम पर और हमारे प्रतिनिधियों पर बन्धनकारी होगी, कि किसी पक्षकार के पुरुष–सन्तान के बिना मरने पर पब्लिक दस्तावेजों में उसकी विधवा का नाम प्रविष्ट करा दिया जायेगा। यह कि जीवित रहने वाले पक्षकार को उसके प्रति कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उत्तरजीवी
पक्षकार के कोई पुरुष–संतान होगी तो मृत पक्षकार की विधवा की मृत्यु के पश्चात् दूसरे पक्षकार का या के पुत्र कुल सम्पदा के स्वामी होगा या होंगे। यह कि पुत्रियों या उनके पुत्रों का दूसरे पक्षकार के पुत्र या पुत्रों के होते हुए कोई अधिकार नहीं होगा और यह कि मृत पक्षकार की विधवा को किसी समय पर भी किसी प्रकार का कोई अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। 3. पुत्रियॉ या उनकी पुरुष–संतान, सम्पदा की अधिकारी केवल तभी होंगी जबकि दोनों पक्षकार किसी पुरुष–संतान के बिना मृत्यु को प्राप्त हों। यदि पक्षकारों में से किसी के भी पुरुष–संतान हैं, तो पुत्रियों या उनमें से किसी के पुत्र किसी भी प्रकार की कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं करेंगे।

4. प्रथम पक्षकार की इस समय उसकी दूसरी पत्नी से एक अविवाहित पुत्री है और उसकी प्रथम पत्नी से, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत पुत्री के तीन अवयस्क पुत्र हैं, जो खण्ड–4 में दी हुई शर्तों के अधीन सम्पदा में समान भाग पाने के अधिकारी होंगे। यदि उक्त पुत्री के भी जो इस समय अविवाहित है, कोई पुत्र पैदा नहीं होता है तो पुत्री के पुत्र और न कि उक्त (अविवाहित) पुत्री के पति परिवार के सदस्य, सम्पूर्ण सम्पदा के अधिकारी होंगे।

5. मेरे अर्थात् द्वितीय पक्षकार की पॉच पुत्रियॉ हैं। वे और उनमें से किसी की मृत्यु पर उसकी पुरुष–संतान, खण्ड–4 में दी हुई शर्तों के अधीन, समान भाग में सम्पदा की उत्तराधिकारी होंगी। यदि पुत्रियों में से कोई पुरुष–संतान छोड़े बिना मरेगी तो उसके पति के परिवार के सदस्यों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अपितु सम्पदा में का उसका अंश, शेष पुत्रियों और उनकी पुरुष–संतानों में क्रमानुसार विभाजित किया जायेगा।

6. यदि हम दोनों पक्षकार अपने जीवनकाल में किसी समय अपनी पारस्परिक सहमति से या किसी विवाद के कारण सम्पदा का विभाजन करें तो यह विलेख, हम दोनों के बीच किसी पुरुष–संतान के न होने पर, किसी पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगा। यदि हम लोगों में से किसी के कोई पुरुष–संतान होगी तो वह सम्पूर्ण सम्पदा का स्वामी होगा। विधवाओं को केवल आजीवन हित प्राप्त होगा। पुत्रियों को, उनकी संतान को अथवा किसी अन्य पक्षकार को उसके प्रति कोई अधिकार नहीं होगा।

7. हम दोनों पक्षकार अभी तक काम–काज का प्रबंध संयुक्त रूप से करते आये हैं और उसी प्रकार आगे भी प्रबंध करते रहेंगे। यदि कोई विभाजन नहीं होता है। एक पक्षकार को मृत्यु के पश्चात् सभी प्रबंध उत्तरजीवी पक्षकार द्वारा किये जायेंगे। मृत पक्षकार की विधवा को दूसरे पक्षकार के जीवनकाल में सम्पत्ति का विभाजन कराने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु दूसरे पक्षकार से व्ययों को काटकर लाभ का अपना अंश पाती रहेगी। यदि दूसरे पक्षकार लाभ देने से बचना चाहें तो उसे न्यायालय से
केवल लाभ की वसूली के लिए प्रतिकार चाहने का अधिकार होगा।

8. हम दोनों पक्षकार का निवास इस रूप से अलग–अलग होगा कि मोहल्ला..... में, जो कस्बा.....में बाजार की आबादी में स्थित है, जीवित पक्षकार दूसरे की विधवा को किसी मकान में भी जो वह पसंद करे, रहने देगा और उसे निकाल बाहर नहीं करेगा, किन्तु उक्त मृतक की विधवा को केवल उक्त मकान के प्रति अनुभोग और निवास का अधिकार होगा। अन्य मकानों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। जीवित रहने वाले पक्षकार को मकान की दशा परिवर्तित करने का या अपने घर की महिलाओं के लिए पृथक् मकान बनवाने का और उसमें जाकर रहने का और मोहल्ले में जो मकान और दुकानें हैं उनमें से किसी में भी अपनी बैठक बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति का विवरण

हस्ताक्षर वसीयतकर्ता–1/2

साक्षीगण

1.....

2.....